


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1584]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936

No. 1584]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SHRAVANA 17, 1936

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2014

का.आ. 2014(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ आठवां संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—
(क) "नागर विमानन मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 4 का लोप किया जाएगा;
(ख) "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "ख. रक्षा उत्पादन विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 12 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"12क. सिविल उपयोग के लिए वायुयान और वायुयान घटकों का उत्पादन।"

प्रणव मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/8/2014 -मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2014

S.O. 2014(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Eighth Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,—

(a) under the heading “MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)”, entry 4 shall be omitted;

(b) under the heading “MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION (RAKSHA UTPADAN VIBHAG)”, after entry 12, the following entry shall be inserted, namely:—

“12A. Production of aircraft and aircraft components for civil use.”.

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/8/2014-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director